मांग सूचना

जैसा कि **असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड** (नीचे उल्लिखित ट्रस्टों के रूप में कार्यरत) (जिसको कि आगे 'आर्सिल' कहा गया) जो कि एक आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी है, का गठन कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत किया गया है। आर्सिल कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (जिसको कि आगे सरफैसी अधिनियम कहा गया) की धारा 3 के अंतर्गत पंजीकृत की गई है एवं जैसे कि ऋणी/बंधककर्त्ताओं/जमानतदारों/सह-आवेदकों एवं सलाहकारों जैसा कि कॉलम क्रमांक 2 में दर्शाया गया है ने **एसके फाइनेंस लिमिटेड**, मूल ऋणदाताओं से ऋण प्राप्त किया है तथा यत: आर्सिल द्वारा कॉलम क्रमांक-1 में वर्णित ऋण खातों से संबंधित वित्तीय आस्तियों का अधिग्रहण किया गया था। जैसा कि अधिनियम के अनुसार आर्सिल के द्वारा सुरक्षित लेनदार के रूप में अधिनियम की धारा 13 (2) के सपठित सुरक्षित हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अंतर्गत कॉलम 2 में वर्णित ऋणियों/बंधककर्त्ताओं/जमानतदारों/सह-आवेदकों एवं सलाहकारों को जारी किए मांग सूचना पत्र द्वारा आगामी ब्याज सहित 60 दिवस के अंदर मांग सूचना पत्र में वर्णित राशि का भुगतान करने के निर्देश दिये गए थे लेकिन उनमें से कुछ मांग सूचना पत्र किन्ही कारणों से उन पर तामील नहीं हो सके थे।

लोन नं./मूल ऋणदाता का नाम/मांग सूचना दिनांक/ट्रस्ट का नाम	ऋणी/सह-ऋणी/जमानतदार का नाम	कुल बकाया राशि
LAN: NO.: SMSISBLONS000006138280 मूल ऋणदाता- SK Finance Limited मांग सूचना की दिनांक- 28-Jan-2026; NPA Date: 06-May-25 ट्रस्ट का नाम- Arcil–Trust-2026-006 ("Arcil") संपत्ति का विवरण : आवासीय संपत्ति के सभी अंश एवं हिस्से जिसमें सम्पत्ति खसरा नं. 842, स्थित गांव - लोना, परगना व तहसील - महमुदाबाद, जिला - सीतापुर, उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल 296.56 वर्ग गज, संजय सिंह से संबंधित, उत्तर: बृजेश इत्यादि का मकान, दक्षिण: मुतरू का मकान, पूर्व: इन्टरलोकिंग, पश्चिम: रणजीत सिंह की भूमि	1. संजय सिंह C/O मुकेश सिंह (ऋणी/बंधककर्ता) लौना पहला सीतापुर महमुदाबाद, महमुदाबाद, उत्तर प्रदेश 261206, 2. दुलारी मुकेश सिंह C/O बच्चु सिंह (सह-ऋणी) लौनापहला, सीतापुर, महमुदाबाद, उत्तर प्रदेश 261206, 3. गीता सिंह C/O संजय सिंह (सह-ऋणी), लौनापहला, सीतापुर, महमुदाबाद, उत्तर प्रदेश - 261206, 4. हरीकेश श्रीप्रकाश C/O श्री प्रकाश (जमानतदार) लौना सीतापुर, लौना सीतापुर, लौना सीतापुर, महमुदाबाद, उत्तर प्रदेश 261206	28-जनवरी-26 तक रू. 501972.06/- एवं 29-जनवरी-26 से आगे का ब्याज भुगतान होने तक
LAN: NO.: SMBASMLONS000006150477 मूल ऋणदाता- SK Finance Limited मांग सूचना की दिनांक- 28-Jan-2026; NPA Date: 03-Feb-25 ट्रस्ट का नाम- Arcil–Trust-2026-006 ("Arcil") संपत्ति का विवरण : आवासीय संपत्ति के सभी अंश एवं हिस्से जिसमें प्लॉट नं. बी-180 व खसरा नं. 1054, स्थित गांव हुलासा खेड़ा, परगना व तहसील मोहनलाल गंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल 62.91 वर्ग गज - रोहित श्रीवास्तव से संबंधित, उत्तर: भूखण्ड नं. बी-191, दक्षिण: 20फीट रोड़, पूर्व: भूखण्ड नं. बी-179, पश्चिम: भूखण्ड नं. बी-181	1. रोहित श्रीवास्तव पुत्र प्रमोद कुमार श्रीवास्तव (ऋणी/बंधककर्ता) 4/7 बुलाकी अड्डा रोड राजेन्द्र नगर, लेण्डमार्क - स्कूल लखनऊ, उत्तर प्रदेश पिन कोड - 226004, 2. सुनील कुमार श्रीवास्तव पुत्र विष्णु कुमार श्रीवास्तव (जमानतदार) एस-2/339 आश्रय, हीन कॉलोनी, पीर नगर दुबग्गा, स्कूल, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226101	28-जनवरी-26 तक रू. 949206.06/- एवं 29-जनवरी-26 से आगे का ब्याज भुगतान होने तक
LAN: NO.: SMLUSBLONS000006024102 मूल ऋणदाता- SK Finance Limited मांग सूचना की दिनांक- 29-Jan.-2026; NPA Date: 05-Mar-25 ट्रस्ट का नाम- Arcil–Trust-2026-006 ("Arcil") संपत्ति का विवरण : आवासीय संपत्ति के सभी अंश एवं हिस्से जिसमें सम्पत्ति बियरिंग सम्पत्ति खसरा नं. 359, गांव भमरौली शाहपुर, वार्ड - हैदरगंज, तहसील व जिला - लखनऊ, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल 51.115 वर्ग मीटर, कॉमल तिवारी से संबंधित, उत्तर: 15 फीट चौड़ी रोड, दक्षिण: अन्य का प्लॉट, पूर्व: मंजु तिवारी का प्लॉट, पश्चिम: राजेश तिवारी का प्लॉट	1. धीरज तिवारी पुत्र दयाशंकर तिवारी (ऋणी/बंधककर्ता) 456 200 दौलत गंज तबेला, ठाकुर गंज, लखनऊ, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226003, 2. कोमल तिवारी C/O धीरज तिवारी (सह-ऋणी), हीरपुर गोटैया, पोस्ट माहिता भरवन हरदोई, संडीला, संडीला, उत्तर प्रदेश 241202, 3. संजय चौरसिया पुत्र वेद प्रकाश (जमानतदार), भमरौली, शाहपुर, काकोरी, लोधी कॉम्पलेक्स के पास, संडीला, उत्तर प्रदेश - 226101	29-जनवरी-26 तक रू. 237321.3/- एवं 30-जनवरी-26 से आगे का ब्याज भुगतान होने तक
LAN: NO.: SMHRSBLONS000006092441 मूल ऋणदाता- SK Finance Limited मांग सूचना की दिनांक- 29-Jan. -2026; NPA Date: 04-Dec-24 ट्रस्ट का नाम- Arcil–Trust-2026-006 ("Arcil") संपत्ति का विवरण : आवासीय संपत्ति के सभी अंश एवं हिस्से जिसमें नई बस्ती, धीवर महोलिया, परगना गोपामउ, तहसील व जिला हरदोई, उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल 71.11 वर्ग गज, किशन लाल चौरसिया से संबंधित, उत्तर: रोड व हरी गुप्ता का मकान, दक्षिण: हेत राम अग्रवाल का बाग, पूर्व: पंकज गुप्ता का मकान, पश्चिम: हेत राम अग्रवाल का मकान	1. मनोज चौरसिया पुत्र किशन लाल (ऋणी/बंधककर्ता) न्यू बस्ती रेलवे गंज हरदोई ग्रामीण हरदोई उत्तर प्रदेश 241001, 2. किशन लाल चौरसिया पुत्र महादेव (सह-ऋणी) 00 सर्क्युलर रोड, नई बस्ती हरदोई ग्रामीण हरदोई, उत्तर प्रदेश 241001, 3. ममता चौरसिया C/O मनोज चौरसिया (सह-ऋणी), रेलवे स्टेशन के पास, नई बस्ती रेलवे गंज, हरदोई ग्रामीण हरदोई, उत्तर प्रदेश 241001, 4. गोविन्द प्रसाद पाण्डे पुत्र मिथलेश पाण्डे (जमानतदार) 00 श्री पुर ब्राह्मणन पोस्ट कला आम हरदोई, ग्रामीण हरदोई, उत्तर प्रदेश 241001	29-जनवरी-26 तक रू. 417575.41/- एवं 30-जनवरी-26 से आगे का ब्याज भुगतान होने तक
LAN: NO.: SMHRSBLONS000006126064 मूल ऋणदाता- SK Finance Limited मांग सूचना की दिनांक- 28-Jan-2026; NPA Date: 03-Jan-25 ट्रस्ट का नाम- Arcil–Trust-2026-006 ("Arcil") संपत्ति का विवरण : आवासीय संपत्ति के सभी अंश एवं हिस्से जिसमें सम्पत्ति बियरिंग गटा नं. 11, स्थित गांव कतरा बहार चौंगी, परगना - कतरा, तहसील तिलहर, जिला - शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल 71.6 वर्ग मीटर, विट्टो देवी से संबंधित, उत्तर: रोड, दक्षिण: विक्रेता का प्लॉट, पूर्व: विक्रता का प्लॉट, पश्चिम: 10 फीट उनपावीड रोड	1. बिजनेश विशराम पुत्र विश राम (ऋणी/बंधककर्ता), रामपुरिया नयुरिया पोस्ट खुन्दा करता, शाहजहाँपुर, तिलहर, उत्तर प्रदेश 242301, 2. विट्टो विजनेश C/O बिजनेश (सह-ऋणी) 00 रामपुरिया नयुरिया पोस्ट खुन्दा कतरा, शाहजहाँपुर, तिलहर, उत्तर प्रदेश 242301, 3. अंकित पाठक पुत्र लाल बहादुर पाठक (जमानतदार) 00 रामपुरिया, शाहजहाँपुर, तिलहर, उत्तर प्रदेश - 242301	28-जनवरी-26 तक रू. 143724.46/- एवं 29-जनवरी-26 से आगे का ब्याज भुगतान होने तक
LAN: NO.: SMSISDLONS000006074903 मूल ऋणदाता- SK Finance Limited मांग सूचना की दिनांक- 09-Oct-2025; NPA Date: 03-Jan-25 ट्रस्ट का नाम- Arcil–Trust-2026-006 ("Arcil") संपत्ति का विवरण : आवासीय संपत्ति के सभी अंश एवं हिस्से जिसमें गांव - मिलक पिछैदा रिचा तहसील बहेरी, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल 199.94 वर्ग गज, पूर्व: श्री बुन्दन जी का प्लॉट, पश्चिम: 13'-0'' चौड़ी रोड, उत्तर: श्री अली अहमद का मकान, दक्षिण: श्री मनोहर का मकान	1. रिज्वान पुत्र इरफान (ऋणी), मिलक पिछैदा गेलतान्दा बापु नगर बरेली, उत्तर प्रदेश 262406, 2. हसीन वानो पत्नी रिज्वान (सह-ऋणी) मिलक पिछैदा गेलतान्दा बापु नगर बरेली, उत्तर प्रदेश 262406, 3. फैजन राजा खान पुत्र रहमत खान (जमानतदार), मिलक पिछैरा कचनारी, बरेली उत्तर प्रदेश - 262406	20-अगस्त-25 तक रू. 611874.34/- एवं 21-अगस्त-25 से आगे का ब्याज भुगतान होने तक

इसलिए, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, ऋणी/सह ऋणी को नोटिस दिया जाता है, जिसमें उन्हें इस नोटिस के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर संबंधित ऋणी/सह-ऋणी के खिलाफ ऊपर दर्शाई गई कुल बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है। संबंधित ऋणी/सह ऋणी द्वारा आगे के ब्याज के साथ कुल बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर, आर्सिल को ऊपर वर्णित संपत्तियों पर प्रतिभूत्ति हित के प्रवर्तन नियम की धारा 13 (4) के तहत कार्रवाई करने के लिए बाध्य किया जाएगा, सरफैसी अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित अन्य तरीकों से नोटिस की सेवा के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। आपको सूचित किया जाता है कि उक्त बंधक को सार्वजनिक नीलामी या बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण के लिए निजी संधि के लिए नोटिस के प्रकाशन की तारीख से पहले किसी भी समय आर्सिल द्वारा देय पूर्ण राशि के भुगतान पर भुनाया जा सकता है, जैसा कि सरफैसी अधिनियम की धारा 13 (8) में विस्तृत है। कृपया ध्यान दें कि सरफैसी अधिनियम की धारा 13 (13) के अनुसार, आपको प्रतिभूत संपत्तियों को किसी भी तरह से बिक्री, पट्टे या किसी अन्य तरीके से स्थानांतरित करने और/या उनसे निपटने से रोका जाता है।

असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड

Arcil Premier ARC

पंजीकृत कार्यालय: द रूबी, 10वीं मंजिल, 29 सेनापति बापट मार्ग, दादर (प.), मुम्बई 400028, फोन : +91-22-66581300 फैक्स: +91-22-66581313/14, वेबसाइट: www.arcil.co.in शिकायत निवारण अधिकारी : Vardhanapu William Raju फोन : (+91-22) 6658 1310, ई-मेल : complaint@arcil.co.in, Corporate Identification Number: U65999MH2002PLC134884

हस्ताक्षर/-प्राधिकृत अधिकारी
असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड
(In capacity as Trustee of Arcil – Trust-2026 – 006)

दिनांक: 20.05.2026 स्थान: उत्तर प्रदेश

ANAND RATHI

आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड
एक्सप्रेस जोन, ए विंग, 10वां तल, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे,
तिरछे रूप में ओबरॉय मॉल के सम्मुख, गोरेगांव (पू), मुंबई – 400 063, भारत

मॉंग सूचना

जबकि यहां नीचे तालिका में उल्लिखित उधारकर्ताओं/सह–उधारकर्ताओं ने आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड से वित्तीय सहायता प्राप्त की है। हमारा कहना है कि वित्तीय सहायता प्राप्त करने के बाद भी, उधारकर्ताओं / सह–उधारकर्ताओं ने देय तिथियों के अनुसार ब्याज एवं मूलधन राशि के पुनर्भुगतान में विभिन्न चूकें की है। फलतः खाता को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गत निर्देशों / दिशानिर्देशों के अनुसार यहां नीचे उल्लिखित संबंधित तिथियों पर अनिष्पादनकारी परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति के प्रयोगांतर्गत, सरफॉएसि अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत यहां इसमें निम्न तालिका में उल्लिखित संबंधित तिथियों पर मॉंग सूचनायें निर्गत की है, जिनमें निम्नलिखित उधारकर्ताओं / बंधककर्ताओं को सूचना में उल्लिखित राशि का, भुगतान की तिथि तक, सूचनाओं में अंकित राशि पर संविदागत दर पर नियत भावी ब्याज तथा आकस्मिक व्ययों, लागत, शुल्कों, इत्यादि के साथ, सूचनाओं की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, प्रतिभुगतान करने का निर्देश दिया गया है।

उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता(ओं) के नाम / पते	बकाया राशि : रू. 81,97,435/-		बकाया राशि : रू. 2,17,290/-	
(1) राजेश रंजन (उधारकर्ता), बी–210, तृतीय तल, विवेक विहार–1 पीओ झिलमिल, उप–जिला विवेक विहार, दिल्ली 110095, (2) श्रीमती अर्चना कुमारी सिंह (सह–उधारकर्ता) : बी–210, तृतीय तल, विवेक विहार–1 पीओ झिलमिल, उप–जिला विवेक विहार, दिल्ली 110095, संपत्ति पता : भू तल पर स्थित दुकान पर बंधक, क्षेत्र मापन 36.45 वर्ग मीटर, आवासीय भूखंड सं. 37, मापन 300 वर्ग गज, ब्लॉक–बी, विवेक विहार–I, दिल्ली 110095 पूर्वी दिल्ली में स्थित।	आरओआई	13.00%	आरओआई	13.00%
	बकाया मूलधन	7,802,695	बकाया मूलधन	194,959
	लंबित ईएमआई राशि	315,999	लंबित ईएमआई राशि	10,120
	खंडित अवधि का ब्याज	8,453	खंडित अवधि का ब्याज	211
	अति देय ब्याज	48,518	अति देय ब्याज	-
	विधिक शुल्क	7,670	विधिक शुल्क	-
	सूचना शुल्क	1,100	सूचना शुल्क	-
	ईएमआई बाउंस प्रभार	13,000	ईएमआई बाउंस प्रभार	12,000
	कुल बकाया	**81,97,435**	**कुल बकाया**	**217,290**
एलपीए तिथि : 11/05/2026 मांग सूचना की तिथि : 14/05/2026	APPL00019919 ऋण राशि : रू. 80,60,000/-		APPL00020650 ऋण राशि : रू. 2,00,000/-	

उपर्युक्त परिस्थितियों में, एतद्द्वारा ऊपर उल्लिखित उधारकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंदर भविष्य के ब्याज एवं लागू शुल्कों के साथ ऊपर अंकितानुसार बकाया राशि का भुगतान कर दें। भुगतान करने में विफल रहने पर इस सूचना की तिथि के 60 दिवसों के समापन के पश्चात्, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(4) तथा यहां उसके अंतर्गत विरचित नियमावली के अंतर्गत उधारकर्ताओं एवं बंधककर्ताओं की प्रतिभूत परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करने सहित प्रतिभूत परिसंपत्तियों के समक्ष अग्र कार्रवाइयां की जायेंगी। यदि आप इस सूचना के प्रत्युत्तर में कोई भी अभ्यावेदन देने के इच्छुक हैं, तो कृपया इसे हमारे प्राधिकृत अधिकारी श्री महेश्वर सिंह को आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड, 8वां तल, "ए" विंग, एक्सप्रेस जोन बिल्डिंग, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे रोड, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई– 400063 के पते पर भेजें, ताकि इससे हम समय पर प्रतिक्रिया देने में सक्षम हो सकें। कृपया ध्यान दें कि हम उस स्थिति में इस सूचना के प्रत्युत्तर में आपके किसी भी अभ्यावेदन का प्रति उत्तर न देने के लिये उत्तरदायी नहीं होंगे, यदि प्रत्युत्तर किसी अन्य व्यक्ति अथवा स्थान को संबोधित होता है। कृपया ध्यान दें कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अंतर्गत, कोई भी उधारकर्ता, प्रतिभूत ऋणदाता की पूर्व लिखित सहमति के बिना, सूचना में संदर्भित अपनी किसी भी प्रतिभूत परिसंपत्ति का विक्रय, पट्टा के माध्यम से अथवा अन्यथा हस्तांतरण नहीं करेगा।

दिनांक : 14–05–2026, स्थान : दिल्ली

हस्ता./–, आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड, प्राधिकृत अधिकारी

OMKARA ASSETS RECONSTRUCTION Pvt. Ltd.

ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड

कार्पोरेट कार्यालय : कोहिनूर स्क्वेयर, 47वां तल, एन.सी.केलकर मार्ग, आर.जी. गडकरी चौक, दादर (वेस्ट), मुम्बई – 400 028, फोन नं. : 022–69231111/9833546349

[परिशिष्ट – IV-A] [नियम 8(6) के सहपठित 9(1) हेतु परंतुक देखें]

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूतिहित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 8(6) और 9(1) के प्रावधान के तहत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना।

एतद् द्वारा सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से नीचे उल्लेखित उधारकर्ता(ओं), सह–उधारकर्ता(ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति प्रत्याभूत ऋणदाता को बंधक रखी गई है, जिसका कब्जा सम्मान कैपिटल लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी यानी प्रतायभूत ऋणदाता द्वारा लिया गया है।

इसके बाद, **ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (ओएआरपीएल) ने ओमकारा पीएस 22/2024–25 ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्य करते हुए)** दिनांक 29.03.2025 को अभिहस्तांकन समझोते के तहत समनुदेशक सम्मान कैपिटल लिमिटेड (इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड) से अंतर्निहित प्रतिभूतियों के साथ पूरा बकाया ऋण प्राप्त कर लिया है। उक्त अभिहस्तांकन समझोते के अनुसार, ओएआरपीएल ने समनुदेशक की जगह ले ली है और उसे बकाया राशि वसूली करने और प्रत्याभूत प्रवर्तीत करने का अधिकार है। तदनुसार, वर्णित अचल संपत्ति को **''जो है, जहां है'', ''जो है जैसी है'', ''वहां जो कुछ भी है'' और ''दायित्वरहित आधार''** पर ओएआरपीएल को उपर्युक्त उधारकर्ता / गारंटरों/बंधककर्ताओं से बकाया **रूपये 11,48,318/– (रूपये ग्यारह लाख अड़तालीस हजार तीन सौ अट्ठारह मात्र) 25.03.2022 तक** प्लस दिनाक 26.03.2022 से ब्याज और व्ययों सहित बकाया की वसूली के लिए बेचा जाएगा। संपत्तियों की बिक्री सरफैसी अधिनियम के प्रवधानों के तहत अधिकारों और शक्तियो का उपयोग करते हुए की जाएगी।

संपत्ति का आरक्षित मूल्य और अग्रीम राशि जमा निम्न तालिका में वर्णित हैं–

उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता	अचल संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	ईएमडी	बोली वृद्धि राशि
संदीप कुमार (उधारकर्ता) सिया भारद्वाज (सह–उधारकर्ता)	फ्लैट सं. एफएफ – 8, प्लॉट सं.बी–8/1, प्रथम तल, पीछे दाएं हाथ की ओर, डीएलएफ अंकुर विहार, लोनी गाजियाबाद, उ.प्र. 201102, कवर्ड क्षेत्र 38.08 वर्ग मीटर	रूपये 7,30,000/–	रूपये 73,000/–	रूपये 25,000/– (रूपये पच्चीस हजार मात्र)

निरीक्षण की दिनांक और समय	29.05.2026, प्रातः 11:00 बजे से शाम 4:00 बजे	नीलामी दिनांक	10.06.2026, दोप.12:00 बजे से 1:00 बजे
भागीदारी हेतु बोली प्रपत्र जमा करने की अंतिम दिनांक और समय/ ईएमडी के प्रमाण/केवाईसी दस्तावेज	09.06.2026, अपराह्न 4:00 बजे तक	ज्ञात देयताएं	कोई नहीं

नीलामी ओएआरपीएल के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। ईएमडी (मूल में डीडी/पे ऑडर या एनईएफटी /आरटीजीएस के माध्यम से प्रेषण) के साथ (ऑनलाइन और हार्ड कॉपी में) जमा करने की अंतिम दिनांक 09.06.2026 को अपराह्न 4.00 बजे तक है। बोली प्रस्तुत करते समय, बोलीदाता को दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 29(ए) की भावना में शपथपत्र प्रस्तुत करना चाहिए। नीलामी के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया दी गई लिंक **https://omkaraarc.com/ auction.php** का संदर्भ लेने की सलाह दी जाती है।

इच्छुक बोलीदाताओं जिन्होने ईएमडी जमा किया है और लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ई–बोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि में सहायता की आवश्यकता है, वे ई–नीलामी सेवा प्रदाता **''मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड'', फोन हेल्पलाइन : +91–7291981124/25/26, हेल्पलाईन ई–मेल आईडी : support@bankeauctions.com,** किसी भी संपत्ति से संबंधित जानकारी के लिए प्राधिकृत अधिकारी **श्री राजेंद्र भोसले, मोबाइल नं. :+91 9833546349, ई–मेल : rajendra.bhosle@omkaraarc.com** पर अधिकारिक समय और कार्य दिवस में संपर्क कर सकते हैं।

वैधानिक हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 8(6) के सहपठित नियम 9(1) के तहत बिक्री के लिए सांविधिक सूचना

यह सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के सहपठित नियम 9(1) के तहत उपरोक्त ऋण खाते के उधारकर्ता/गारंटरों **15 दिनों (पंद्रह)** से कम नहीं की एक अनिवार्य सूचना भी है और वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत, सरफैसी अधिनियम की धारा 13(8) के तहत उन्हें लागत और व्यय के साथ उपरोक्त उपर्युक्त बकाया का भुगतान करके उनके द्वारा वांछित संपत्ति को छुड़ाने की सलाह के साथ निर्धारत दिनांक और समय पर सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से बिक्री के आयोजन के बारे में सूचित किया गया है। भुगतान में चूक के मामले में, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(5) के तहत संपत्ति प्राधिकृत अधिकारी/प्रत्याभूत ऋणदाता के विवेकाधिकार पर निर्दिष्ट किसी भी प्रणाली के माध्यम से बेची जाएगी।

हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी,
ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्रा. लि.
(ओमकारा पीएस 22/2024–25 ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता से कार्यरत)

दिनांक : 20.05.2026
स्थान : मुंबई

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि Expressway Hospitality Private Limited को प्रस्तावित बारात घर हेतु प्लॉट संख्या P-5A एवं P-5B, सेक्टर-134, नोएडा, उत्तर प्रदेश के लिए State Environment Impact Assessment Authority Uttar Pradesh द्वारा पर्यावरण स्वीकृति (Environmental Clearance) प्रदान की गई है, जिसका EC Identification No. EC25C3803UP-5392994N, Proposal No. SIA/UP/INFRA2/559413/2025 तथा File No. 10871 दिनांक 24-11-2025 है। उक्त पर्यावरण स्वीकृति पत्र की प्रति पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.environmentclearance.nic.in पर उपलब्ध है।

विघटन की सार्वजनिक सूचना

आम जनता और सभी संबंधित पक्षों को सूचित किया जाता है कि श्रीमती ज्योत्स्ना मेहता और श्रीमती वीणा कपूर के बीच की साझेदारी फर्म, जो 607, आकाश दीप 26–ए, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली, दिल्ली –110001 पर **"M/s. MEKABAS"** के नाम और शैली के तहत निवेशकों, निर्माताओं और एजेंटों का व्यवसाय कर रही थी, **1 अप्रैल, 2026** से आपसी सहमति से भंग (Dissolved) कर दी गई है।

उक्त विघटन के परिणामस्वरूप, उक्त फर्म ने उपर्युक्त तिथि से व्यवसाय करना बंद कर दिया है। कृपया ध्यान दें कि इस सूचना की तिथि के बाद फर्म के नाम पर किए गए किसी भी कार्य, विलेख (deed), ऋण या देनदारियों के लिए साझेदार जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होंगे।

उक्त फर्म के खिलाफ किसी भी प्रकार का दावा रखने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि वे इस प्रकाशन की तिथि से **15 दिनों** के भीतर सहायक दस्तावेजों के साथ अपना दावा **श्री संजय मेहता, सी402 लोढ़ा बेलिसिमो, अपोलो मिल्स कंपाउंड, एन एम जोशी मार्ग, महालक्ष्मी, मुंबई - 400011** (Email: sanjayhome21@gmail.com), पर प्रस्तुत करें, जिसके बाद किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

हस्ताक्षर/- (ज्योत्स्ना मेहता), हस्ताक्षर/- (वीना कपूर)
Partners of the erstwhile M/s. MEKABAS
दिनांक : 20.05.2026
स्थान : नई दिल्ली

एशियन होटल्स (वेस्ट) लिमिटेड

सीआईएन: L55101DL2007PLC157518

पंजीकृत कार्यालय: छठा तल, आरिया टावर्स, जे.डब्ल्यू. मैरियट, नई दिल्ली एरोसिटी, एसेट एरिया 4, हॉस्पिटैलिटी डिस्ट्रिक्ट, आईजीआई एयरपोर्ट के पास, नई दिल्ली 110037 **फोन :** 011 41597329, **वेबसाइट :** www.asianhotelswest.com

कंपनी के शेयरधारकों को सूचना
इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड (आईईपीएफ) खाते में इक्विटी शेयर हस्तांतरित करने के संबंध में
(कंपनी एक्ट, 2013 की धारा 124 के अनुसार)

कंपनी एक्ट, 2013 ("एक्ट") की धारा 124 और इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड (आईईपीएफ) अथॉरिटी (लेखांकन, लेखापरीक्षण, हस्तांतरण और प्रतिदाय) नियमावली, 2016 ("नियमावली"), जो समय–समय पर संशोधित की गई है, की आवश्यकताओं के अनुसार, कंपनी को उन शेयरों को, जिनका लाभांश लगातार सात वर्ष तक बिना भुगतान या बिना दावा रहता है, केंद्र सरकार के बनाए आईईपीएफ खाते में हस्तांतरित करना अनिवार्य है।

अनुपालन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए कंपनी के अदत्त लाभांश खाते में पड़ा अदत्त लाभांश इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अकाउंट (आईईपीएफ) में हस्तांतरित किया जाना है। उन सभी शेयरहोल्डर्स को एक अलग व्यक्तिगत संदेश भेजा गया है, जिनके शेयर वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान आईईपीएफ अथॉरिटी को हस्तांतरित किए जाने हैं, और जिन्होंने कंपनी के आरटीए द्वारा पिछले 7 (सात) लगातार वर्षों से अपना लाभांश नकदीकृत/दावा नहीं किया है।

शेयरहोल्डर्स से अनुरोध है कि वे अपने लाभांश हेतु दावा करने के लिए अतिशीघ्र केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट्स को 17 सितंबर, 2026 तक या उससे पहले एक आवेदन (आईएसआर फार्म्स, पूरे बैंक आदेश विवरण, मूल निरस्त चेक पन्ना, और सभी होल्डर्स के पैन कार्ड की स्व–सत्यापित प्रति के साथ) दें। यदि शेयरहोल्डर्स लाभांश हेतु दावा करने में असफल हो जाते हैं, तो कंपनी में उनके शेयर (चाहे भौतिक रूप या इलेक्ट्रॉनिक रूप में हों) आईईपीएफ अथॉरिटी को हस्तांतरित कर दिए जाएंगे। निवेशक सेवा अनुरोध फार्म (आईएसआर फार्म) हमारे आरटीए की वेबसाइट https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/isrforms.aspx पर अवेलेबल हैं।

संबंधित शेयरहोल्डर, जिनके पास भौतिक रूप में शेयर हैं और जिनके शेयर आईईपीएफ अथॉरिटी को हस्तांतरित किए जाने हैं, वे ध्यान दें कि आईईपीएफ नियमों के अनुसार, कंपनी उनके पास मौजूद मूल शेयर सर्टिफिकेट के बदले नए शेयर सर्टिफिकेट जारी करेगी, ताकि वे शेयर आईईपीएफ अथॉरिटी को हस्तांतरित कर सकें और वे मूल शेयर सर्टिफिकेट अपने आप निरस्त हो जाएंगे और उन्हें अपरक्राम्य (नॉन–नेगोशिएबल) माना जाएगा। नए शेयर सर्टिफिकेट जारी होने के बाद, कंपनी ऐसे भौतिक शेयरों को डीमैट फॉर्म में बदलने और आईईपीएफ अथॉरिटी के पक्ष में हस्तांतरित करने के लिए कॉर्पोरेट कार्रवाई के माध्यम से डिपॉजिटरी को सूचित करेगी। शेयरहोल्डर यह भी ध्यान दें कि कंपनी द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए गए विवरण को नियमों के अनुसार आईईपीएफ को शेयर हस्तांतरित करने के लिए कंपनी द्वारा नए शेयर सर्टिफिकेट जारी करने के संबंध में पर्याप्त नोटिस माना जाना चाहिए और माना जाएगा। इसके अलावा, अगर शेयर डीमैट मोड में रखे गए हैं, तो हस्तांतरण एक कॉर्पोरेट कार्रवाई के माध्यम से किया जाएगा, जिसे संबंधित डिपॉजिटरी के साथ किया जाएगा, जिसमें ऐसे शेयरों को सीधे आईईपीएफ अथॉरिटी को हस्तांतरित करने के लिए आवश्यक निर्देश होंगे। शेयरहोल्डर्स से यह भी नोट करने अनुरोध है कि ऐसे शेयरों से होने वाले सभी भावी लाभ (यदि कोई हों) सीधे आईईपीएफ अथॉरिटी को ट्रांसफर कर दिए जा